न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 56/2023
(GCMS 2023/325)(212059845887392)

श्री आशिफ ईकबाल, निवासी ई–163, स्ट्रीट नं. 3, पश्चिम विनोद नगर, दिल्ली – 110092

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री आशिफ ईकबाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 17.10.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी आशिफ ईकबाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

कृपया नीचे दी गई तालिका के अनुसार श्रीगंगानगर जिले का वर्षवार डेटा प्रदान करें:

Year (वर्ष)	Number of marriages solemnized under Section 13 of Special Marriage Act, 1954(विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के सेक्शन 5/13 के अन्तर्गत सम्पन्न हुए विवाहों की संख्या)	Number of marriages registered under section 16 of Special Marriage Act, 1954(विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के सैक्शन 5/16 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए विवाहों की संख्या)
2020		
2021		
2022		

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

गौरतलब है कि, अपीलार्थी को सैक्शन 5/13 में सम्पन्न हुए व 5/16 में पंजीकृत हुए विवाहों के मात्र आंकड़े चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी नहीं चाहिए।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

यदि मांगी गई सूचना टेबल के रूप में अदेय हो तो जिस भी रूप में सूचना उपलब्ध हो उसकी प्रति सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सैक्शन 2(1) के प्रावधान के अंतर्गत प्रदान की जाये।

अति. जिला **कलक्टर** (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने **पत्रांक पीए / एडीएम / आरटीआई / 23 / 85** दिनांक 23.11.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन पत्र के संदर्भ में लेख है आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक, विस्तृत नहीं होनी चाहिए व कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर ऐसे खोजे गये तथ्यों को नागरिक को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है, उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि आप द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित सूचना न होकर प्रश्नात्मक व विस्तृत [illegible] कार्यों को प्रभावित करने वाली हैं इसलिए उपरोक्त कारणों से आप द्वारा चाही गई सूचना देय नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः आप कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड का किसी भी कार्यालय दिवस में अवलोकन कर सकते है और जिस रूप में सूचना उपलब्ध है, उसी अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार प्राप्त कर सकते है।

-sd-
अति. जिला कलक्टर
(सतर्कता), श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी [illegible] के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या [illegible] स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस[illegible] अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना का अवलोकन करवा दें और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested